

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No. 2018/TG-I/20/P/62

New Delhi, Dated: 28.01.2019

**The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

(Commercial Circular No. 2 of 2019)

**Sub: Earmarking of accommodation for RPF in Rajdhani/
Shatabdi Express trains.**

Please refer to this office letter no. 2003/TG-I/20/P/2 dated 02.11.2017 wherein it has been inter-alia informed that one side lower berth (berth no. 63 in Coach S1) may be earmarked in Sleeper class coach in the entire train in which the RPF/GRP is travelling.

2. The matter has been further examined and with the approval of Board, it has been decided that one seat in AC Chair Car of Shatabdi Express train and one berth in pantry car of Rajdhani Express trains should be earmarked for escorting staff of RPF travelling in these trains.

2.1 It is desired that seat No. 1 in Coach No. C-4 should be earmarked for RPF travelling in Shatabdi Express trains. In case seat no. 1 has been earmarked by Zonal Railways for ticket checking staff or some other category, the same shall be shifted to adjacent coach/seats but the seat for RPF in Chair Car of Shatabdi Express trains shall be fixed i.e. seat no. 1 coach no. C4.

2.2 It is clarified that henceforth no berth for TS/Conductor shall be earmarked in pantry car.

2.3 The earmarking of accommodation shall be done by Zonal Railways on receipt of request from Security department of the zonal Railway concerned confirming end to end manning of the train.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly. Wide publicity may be given about this provision through all possible means for information of general public.



(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

- 2/-

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi- 110001.
4. MD/CRIS & General Manager/PRS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

सं. 2018/टीजी-1/20/पी/62

नई दिल्ली, दिनांक: 28.01.2019

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.2)

विषय: राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में आरपीएफ के लिए अकोमोडेशन चिह्नित करना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 02.11.2017 के पत्र सं. 2003/टीजी-1/20/पी/2 का अवलोकन करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया है कि पूरी गाड़ी में स्लीपर श्रेणी कोच में एक साइड लोअर बर्थ (कोच एस1 में बर्थ नं. 63) उस गाड़ी में यात्रा कर रहे आरपीएफ/जीआरपी स्टाफ के लिए चिह्नित की जाए।

2. इस मामले की पुनः जांच की गई है और बोर्ड के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी के एसी चेयर कार में एक सीट और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों की पेन्ट्री कार में एक बर्थ इन गाड़ियों में यात्रा कर रहे आरपीएफ के एस्कॉर्टिंग स्टाफ के लिए चिह्नित की जाए।

2.1 वांछा की जाती है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा कर रहे आरपीएफ स्टाफ के लिए कोच सं. सी-4 में सीट नं.1 चिह्नित की जाए। यदि क्षेत्रीय रेलवे द्वारा सीट नं.1 को टिकट चैकिंग स्टाफ अथवा किसी अन्य कोटि के लिए चिह्नित किया गया है, तो उसे अगले कोच/सीट पर शिफ्ट कर दिया जाए परंतु शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की चेयर कार में आरपीएफ के लिए कोच नं. सी4. में सीट नं. 1 ही निश्चित होगी।

2.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि अब से पेन्ट्री कार में टीएस/कंडक्टर के लिए कोई सीट चिह्नित नहीं की जाएगी।

2.3 संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के सुरक्षा विभाग द्वारा गाड़ी के आरंभ से अंत तक कर्मचारी की तैनाती की पुष्टि के पश्चात उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अकोमोडेशन चिह्नित की जाएगी।

3. तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं। इस प्रावधान के बारे में जन साधारण के सूचनार्थ सभी संभव माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार किया जाए।



(शैली श्रीवास्तव)

निदेशक यात्री विपणन

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि. का. अधिकारी/टी सी, रेलवे बोर्ड की वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं ।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
4. प्रबंध निदेशक/क्रिस एवं महाप्रबंधक/पीआरएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.
